बीकानेर नगर निगम

Nagar Nigam Road, Bikaner(Rajasthan) Fax :- 0151:-2226906, Phone :-0151-2226902,0151-2226905
E-Mail Address:-Bikanernagarnigam@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/नविकर/2016/ 4022 10 मार्च, 2016

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान संवाद
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ,राजस्थान
ज य पु र

विषयः- **आम सूचना का प्रकाशन करवाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास कर से संबंधित आम सूचना संख्या नविकर/2016/4021 दिनांक 10 मार्च, 2016 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

इस आम सूचना का प्रकाशन बीकानेर नगरीय क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ संख्या 03 पर समाचार पत्र के पुरे पृष्ठ के एक चौथाई भाग में प्रकाशित करवाया जायें।

संलग्न :- एक

भवदीय

(एन.एल.मीणा)IAS
आयुक्त

F:\year 2016\Letter head mcb 2016\letter head mcb march 16.docx

बीकानेर नगर निगम

Nagar Nigam Road, Bikaner(Rajasthan) Fax :– 0151:-2226906, Phone :–0151–2226902,0151–2226905
E-Mail Address:-Bikanernagarnigam@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/नविकर/2016/4021 10 मार्च, 2016

आम सूचना

नगरीय विकास कर का स्वनिर्धारण करते हुए जमा करवाने

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास कर अप्रैल, 2007 से लागू है। यह कर 300 वर्गगज (3x3) आवासीय एवं 100 वर्गगज (3x3) व्यवसायिक अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल की सम्पतियों पर सम्पति स्वामी /अधिभोगी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर नगरीय विकास कर के समय पर भुगतान का दायित्व है। स्वकर का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना है :–

क्षेत्रफल (वर्गगज) X DLC Rate (वर्गमीटर) = कर योग्य राशि
2000

समस्त सम्पति स्वामी /अधिभोगी को इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्रफल की सम्पतियों हेतु नगरीय विकास कर का स्वकर निर्धारण प्रपत्र निगम कार्यालय से प्राप्त करते हुए 31 मार्च, 2016 तक आवश्यक रूप से कर योग्य राशि सहित जमा करवाकर देय शास्ती पर छूट का लाभ उठावें।

भू–मालिकों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय विकास कर प्रति वर्ष स्वकर निर्धारण अनुसार चुकाने का दायित्व भू–मालिक का है, जिसके लिए पृथक से निगम द्वारा कोई नोटिस/सूचना–पत्र जारी किया जाना अनिवार्य एवं अपेक्षित नहीं है। 31 मार्च, 2016 तक कर का चुकता नही करने पर कर योग्य सम्पति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के तहत कुर्क कर ली जायेगी, जिसका समस्त दायित्व भू–मालिक का होगा। **इसके साथ ही संबंधित विद्युत निगम एवं जलदाय विभाग से कार्यवाही कराकर विद्युत एवं जल संयोजन विच्छेद कराने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।**

अतः स्वकर निर्धारण कर राशि अनिवार्य रूप से जमा करायें तथा राज्य सरकार द्वारा शास्ती में दी गयी छूट का लाभ उठावें।

(एन.एल.मीना)IAS
आयुक्त

F:\year 2016\Letter head mcb 2016\letter head mcb march 16.docx

बीकानेर नगर निगम

Nagar Nigam Road, Bikaner(Rajasthan) Fax :– 0151:-2226906, Phone :–0151–2226902,0151–2226905
E-Mail Address:-Bikanernagarnigam@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / नविकर / 2016 / 4021 10 मार्च, 2016

आम सूचना

नगरीय विकास कर का स्वनिर्धारण करते हुए जमा करवाने

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास कर अप्रैल, 2007 से लागू है। यह कर 300 वर्गगज (3X3) आवासीय एवं 100 वर्गगज (3X3) व्यवसायिक अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल की सम्पतियों पर सम्पति स्वामी /अधिभोगी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर नगरीय विकास कर के समय पर भुगतान का दायित्व है। स्वकर का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना है :–

$$\frac{\text{क्षेत्रफल (वर्गगज) X DLC Rate (वर्गमीटर)}}{2000} = \text{कर योग्य राशि}$$

समस्त सम्पति स्वामी /अधिभोगी को इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्रफल की सम्पतियों हेतु नगरीय विकास कर का स्वकर निर्धारण प्रपत्र निगम कार्यालय से प्राप्त करते हुए 31 मार्च, 2016 तक आवश्यक रूप से कर योग्य राशि सहित जमा करवाकर देय शास्ती पर छूट का लाभ उठावें।

भू–मालिकों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय विकास कर प्रति वर्ष स्वकर निर्धारण अनुसार चुकाने का दायित्व भू–मालिक का है, जिसके लिए पृथक से निगम द्वारा कोई नोटिस/सूचना–पत्र जारी किया जाना अनिवार्य एवं अपेक्षित नहीं है। 31 मार्च, 2016 तक कर का चुकता नही करने पर कर योग्य सम्पति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के तहत कुर्क कर ली जायेगी, जिसका समस्त दायित्व भू–मालिक का होगा। **इसके साथ ही संबंधित विद्युत निगम एवं जलदाय विभाग से कार्यवाही कराकर विद्युत एवं जल संयोजन विच्छेद कराने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।**

अतः स्वकर निर्धारण कर राशि अनिवार्य रूप से जमा करायें तथा राज्य सरकार द्वारा शास्ती में दी गयी छूट का लाभ उठावें।

(एन.एल.मीना)IAS
आयुक्त